न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

निगरानी याचिका सं0 01/2024

1. प्रभातीलाल मीणा पुत्र श्री भागीरथ मीणा निवासी नन्दीवाली ढाणी ग्राम बैजवाडी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा ।
2. महेन्द्र कुमार मीना पुत्र मदनलाल मीना निवासी छारेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

...निगरानीकर्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा
2. पटवारी हल्का छारेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
3. ग्राम पंचायत छारेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच
4. ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत छारेडा पंचायत समिति नांगल राजावतान जिला दौसा

...गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आबादी भूमि का रियायती दर पर निःशुल्क आवंटन पत्र दिनांक 05–09–2011 द्वारा जारी ग्राम पंचायत छारेडा बुक संख्या 105 पट्टा संख्या 01 संकल्प सं0 7 दिनांक 05–09–2011

उपस्थित : 1. श्री सत्यनारायण शर्माअधिवक्ता निगरानीकार।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

—:: निर्णय ::—

दिनांकः 25.06.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 5.9.2011 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। ग्राम पंचायत छारेडा से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम पर अधिवक्ता निगरानीकर्तागण एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को पट्टा सं0 1 संकल्प सं0 7 दिनांक 5.9.2011 की पूर्व में जानकारी नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जेर निगरानी अवैध तरीके से जारी किया गया है जो वाईड एविनिशियों है। इस प्रकार के पट्टा एवं पट्टा आदेशों की निगरानी करने की कोई समयावधि निश्चित नहीं है। फिर भी रफाये हुज्जत दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को जारी पट्टे की जानकारी शुरू से ही रही है। निगरानी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता निगरानीकार व राजकीय अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस सुनी गई। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर निगरानी को अंदर मियाद माना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल निगरानी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता निरगानीकारगण ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम छारेडा तहसील नांगल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

राजावतान जिला दौसा में स्थित आबादी भूमि में ग्राम पंचायत छारेडा पंचायत समिति तत्कालीन दौसा जिला दौसा हाल पंचायत समिति नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा दिनांक 05–09–2011 को पट्टा संख्या 01 बुक संख्या 105 पर पटवार घर निर्माण हेतु संकल्प संख्या 7 पट्टा संख्या 01 दिनांक 05–09–2011 को उत्तर की ओर 100 फीट दक्षिण की ओर 100 फीट पूर्व की ओर 30 फीट पश्चिम की ओर 50 फीट कुल क्षेत्रफल लगभग 444 वर्गगज का निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा उक्त पट्टाशुदा भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की मौके की कोई जांच पडताल नहीं की और ना ही मौके पर जाकर उसका कोई नक्शा मौका बनाया इसलिये उक्त पट्टा मौके के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है इस पट्टाशुदा भूमि जो पटवारघर हेतु पट्टा जारी किया गया है उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा पूर्व में एक पट्टा सुरेश पुत्र पप्पू जाति हरिजन निवासी छारेडा को क्रम संख्या 146 पर दिनांक 04–01–1975 को जारी किया गया है। उक्त पट्टेधारी सुरेश पुत्र पप्पू का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रमिलादेवी पत्नि स्व० श्री मुन्नालाल हरिजन व रिन्कू कुमार पुत्र स्व0 मुन्नालाल हरिजन निवासी ग्राम छारेडा तहसील नांगल राजावतान द्वारा निगरानीकर्ता को जरिये इकरारनामा बाबत विकय भूखण्ड दिनांक 26–06–2010 को पूर्व पश्चिम 30 फीट, उत्तर दक्षिण 35 फीट कुल क्षेत्रफल 116.66 वर्गगज का बेचान कर दिया जिसका इकरारनामा दिनांक 26–06–2010 को तहरीर एवं तकमील किया जाकर नोटेरी पब्लिक के यहां क्रमांक 91 दिनांक 26–06–2010 को दर्शित कर अटेस्टेड किया गया। उक्त विक्रय के दिन से ही निगरानीकर्ता का उक्त भूखण्ड पर कब्जा है तथा पक्का निर्माण कर इकरारनामा के दिन से ही काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इसी प्रकार उक्त कब्जेशुदा भूमि में से रिन्कू कुमार पुत्र स्व0 श्री मुन्नालाल हरिजन निवासी छारेडा तहसील दौसा द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 21–01–2022 को पूर्व पश्चिम 30 फीट, उत्तर दक्षिण 70 फीट जिसका कुल क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज का बेचान किया गया है। इस प्रकार प्रभातीलाल मीना पुत्र भागीरथ मीना निवासी बैजवाडी द्वारा 116.66 वर्गगज व महेन्द्र कुमार मीना पुत्र मदनलाल मीना निवासी छारेडा द्वारा खरीदशुदा भूमि है। इस प्रकार ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा भूखण्ड की जानकारी होते हुए भी अवैधानिक व मनमाने तरीके से पटवार घर हेतु निःशुल्क पट्टा क्रमांक 01 संकल्प संख्या 07 के द्वारा दिनांक 05–09–2011 को अवैधानिक पट्टा जारी कर दिया गया है जिसको चुनौती दिया जाना न्यायोचित है अतः निगरानी याचिका पेश की जा रही है। अधिनस्थ तत्कालीन ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा विधि प्रक्रिया व नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तो के विपरीत पटवार घर छारेडा हेतु पट्टा जारी करने में कानूनी गलती की है इसलिए पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा विवादित पट्टा में जानबूझकर पट्टे पर दिये गये भू भाग के खसरा नम्बर अंकित नहीं किये गये है। चूंकि यदि खसरा नम्बर यदि पट्टे में अंकित किये जाते तो उक्त भूमि ग्राम पंचायत छारेडा के आधिपत्य की भूमि न होकर सुरेश पुत्र पप्पू जाति हरिजन निवासी छारेडा के आधिपत्य की भूमि होने एवं सुरेश पुत्र पप्पू को ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा दिनांक 04–01–1975 को पट्टा क्रमांक 146 जारी किया जाने एवं सुरेश पुत्र पप्पू द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड को जरिये इकरारनामा दिनांक26–06–2010 निगरानीकर्ता को विक्रय कर [illegible] स्पष्ट प्रमाणित थी जिसका कि ग्राम पंचायत छारेडा को कानूनन पट्टा देने [illegible] अधिकार नहीं था इसलिए ही जानबूझ कर पट्टे में से खसरा नम्बर [illegible] कि ग्राम पंचायत छारेडा की साजिश का स्पष्ट प्रमाण है [illegible] नी निरस्तनीय है। पट्टा जेर निगरानी के संबंध में ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा पूर्व में [illegible] दिनांक 04–01–1975 को ही सुरेश पुत्र प्रभु को पट्टा जारी कर दिया गया था जिसके बाद भी पुनः दुबारा उसी जगह का पट्टा ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा जारी कर दिये जाने के कारण पट्टा जेर निगरानी प्रारम्भतः शून्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

क्लेदम बेअसर है जिसे उक्त पट्टे के आधार पर निगरानीकर्ता को कतई कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। कानूनन कोई भी स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत द्वारा उसके आधिपत्य की किसी भी आबादी भूमि का पट्टा जारी करते समय पुराने कब्जे के आधार पर यदि पट्टा जारी करती है तो उसके संबंध में सम्पूर्ण जांच किया जाना आवश्यक है कि आबादी भूमि पर कब्जाधारी का किस प्रकार का कब्जा व कितने लम्बे अर्से से कब्जा चला आ रहा है परन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा इस संबंध में ना ही तो कोई जांच की गई है और ना ही ग्रामवासियो से पूछताछ की गई है और ना ही पट्टा जारी करने से पूर्व पुराने कब्जे के कोई साक्ष्य व सबूत प्राप्त किये है ना ही ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा अपने निकाय में दस्तावेज चैक किये बल्कि ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा विधि एवं प्रक्रिया के सिद्धान्तों को ताक में रख कर अवैध तरीके से उसी भूमि का पट्टा दुबारा जारी कर दिया गया जिस पर निगरानीकर्ता का मकान दुकान बना हुआ है जिसमें बिजली कनेक्शन लगा हुआ है इसलिए पट्टा जेर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा पट्टा जेर निगरानी जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा मूल पट्टाधारी सुरेश व कब्जाधारी रिन्कू को किसी प्रकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा निगरानीकर्ता को भी किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया जिससे निगरानीकर्ता के हितो व अधिकारो पर कुठाराघात हुआ है जिससे भी पट्टा जेर निगरानी निरस्तनीय है। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत छारेडा तहसील नांगल राजावतान पंचायत समिति नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया विचाराधीन पट्टा क्रमांक 01 संकल्प संख्या 07 दिनांक 05–09–2011 को निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

6. अप्रार्थी सं0 3 व 4 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. उक्त प्रकरण ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पटटा दिनांक 5.9.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त भूमि की आदेशिका दिनांक 5.2.2011 को सर्वप्रथम खाली भूमि पर पटवार घर के लिए प्रस्ताव लिया गया एवं आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके उपरांत दिनांक 21.3.2011 को पत्रावली में स्पष्ट रूप से अंकित है कि श्रीमती प्रमिला देवी, सुरेश, रिंकू को नोटिस देकर दिनांक 28.2.2011 को पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाया एवं अतिक्रमी द्वारा लिखित में अपनी गलती स्वीकार की। किन्तु माननीय न्यायालय दौसा में स्थगन हो गया है जिसकी पैरवी हेतु अधिवक्ता को नियुक्त किया गया तथा कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसके उपरांत दिनांक 20.7.2011 को पत्रावली में अंकित है कि माननीय न्यायाधीश सिविल न्यायालय दौसा का स्थगन आदेश खारिज हो गया है। तथा पुनः प्रार्थी द्वारा सैशन न्यायालय फास्ट ट्रैक दौसा में स्थगन आदेश की पुनः अपील कर रखी है। इसके उपरांत पत्रावली की नोटशीट दिनांक 20.8.2011 में यह अंकित है कि उक्त स्थगन आदेश माननीय न्यायालय सिविल व माननीय [illegible] न्यायालय दौसा में स्थगन आदेश खारिज हो चुके है। मौका कमेटी ने 12.8.2[illegible] को पंचायत बैठक 12.8.2011 के मौका देख लिया है। अतः पत्रावली [illegible] समक्ष प्रस्तुत हो। दिनांक 5.9.2011 को निःशुल्क भूमि पटवार [illegible] का निर्णय लिया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पट्टा संपूर्ण [illegible]क अपनाते हुए जारी किया गया है एवं जिन अतिक्रमियों का उक्त भूमि पर कब्जा था वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है जिन्हें

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:26 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

DK
जिला कलेक्टर, दौसा

सिविल न्यायालय से भी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ था। चूंकि उक्त जारी करने में प्रकिया में किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रृटि नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत छारेडा द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत छारेडा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 25 जून, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:26 IST
Reason: SelfAttested